

उद्घरण खतौनी (ग्रामकीय)

उद्घरण क्रमांक : 124208202306280

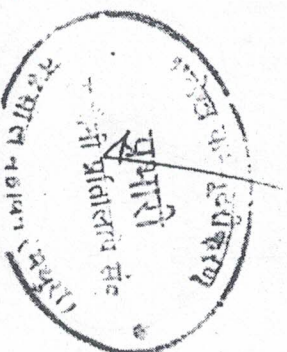
ग्राम क्रमांक : 124208	ग्राम का नाम / पंचायत : मादी(बाराबंकी)	तहसील : महेन्द्र	जनपद : मधुवा	कमनी वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)	पृष्ठ : 1		
खता	खतौनी का नाम / पिता धर्म साहूक का नाम / भित्तार स्थान	धार्मिक	खतौने के प्रकार	प्रत्येक गाँव का	खतौनी का देव	परिवर्तन सम्बन्धी आगा या भुक्का सागागा उनकी संपत्ति तथा	दिपती
खतौनी क्रम		अधिकार प्राप्त	गाँव की खता	क्षेत्रफल (हे.)	मातृपुत्रों या	दिनांक सहित और आगा देने वाले अधिकारी का पद	
संख्या		होने का वर्ष	संख्या		समाप्त		
1	2	3	4	5	6	7-12	13

नोट : (5-4 / दो अन्य बागों से अक्षीय हो ।

नोट : 6-4 / जो अन्य जानकारी से अप्रतिष्ठित हो।

01383	वेरु /						
630	0.1950						
646	0.3000						
695	0.3340						
721	0.1540						
722	0.4370						
796	0.4050						
799	0.0600						
801	0.6270						
817	0.2550						
819	0.5550						
832	4.0620						
834	0.5140						
844	7.3290						
845	0.0810						
847	0.3150						
850	0.7610						
851	2.0960						
856	0.2270						
865	0.0850						
890	0.2870						

1420क अ जिलाधिकारी महेन्द्र के स्वयं स्वीकृत दि.7.12.12 को मधुवा जिला पंचायत समिति मोबा मादी के खा.स. 1258 खा.स. 2866ग रकबा 36.265है0 से से खतौनी हेतु खा.949मि./ क्षेत्रफल 3.457 है0 प्रति वर्ग विभाग हेतु आवंटित की जाती है आ.के. 0.0558/956ग 7.12.12 0.3957/871/ 1420क अ जिलाधिकारी महेन्द्र के स्वयं स्वीकृत दि.7.12.12 को मधुवा जिला पंचायत समिति मोबा मादी के खा.स. 1258 खा.स. 2866ग रकबा 36.265है0 से से क्षेत्रफल 1.605 है0 प्रति वर्ग विभाग हेतु आवंटित की जाती है आ.के. 7.12.12 1417क जिलाधिकारी महेन्द्र के आदेश दि. 26.11.09 के अनुसार 31.8.13के अन्तर्गत मोबा मादी के वीरकला के बस्ती सहायक वृथावेत हेतु खाता सं.1258 खा.स.2866 ग रकबा 31.203 है से रकबा 3.900क.(समस्त) प्रति वर्ग विभाग को आवंटित की जाती है आ.के.31.8.13 2.550है0 प्रति वर्ग



विभाग हेतु स्वीकृत की जाती है आ.के. 28.11.09 जिलाधिकारी महेन्द्र महेन्द्र के आदेश दिनांक 10.09.2018 के क्रम में खाता संख्या 1358 खाता संख्या 2424खा/8.072, 2431दि/0.574, 2476खा/415 कुल 3

[illegible]

अभिधान 1950 (उपभोग अभिधान-1, 1951) की तारीख - 117 की 2,449.0, 388.
 प्रयुक्त मात्रा - 6 के द्वारा प्रयुक्त अभिधान का प्रयोग करने के लिए अभिधान प्रदान
 किया - 2.58 (प्रति-प्रति) / 1.3 फीसद 07-05-1981 तथा 28,661 (3,000) के
 09-05-1984 द्वारा अभिधान अभिधान की प्रतीति के लिए अभिधान
 प्रतीति का प्रयोग करने के लिए (6-4) के 8,63,000 (उपभोग प्रतीति
 6 फीसद मात्रा)

वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि उल्लंघन काराक उसे आश्रित वन भूमि पंजीकृत कराना। ए.आर.के. 03.11.2015

24248/8.072 ₹

३ फिरोज कवा

04005 B. 224

2432/0.251 र

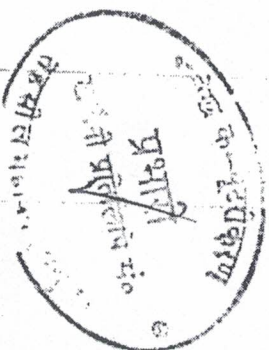
2449/0.388 व

2476x/0.720 व

पुष्पाती
संस्कृत प्रज्ञापीठम्
वाराणसी

प्रभारी
श्रीमती श्रीमती श्रीमती

14.30 रु. अनेक शीतल तबसिलत, मोदक, मखन के आदि
दि. 12.6.2023 के अनुसार में मीठा मंदिर के खाता सं. 23। पर खाता
सं. 2866 रु., 2882, 2921 रु., 2923 रु. खाता सं. 13-4 खाता
संख्या 2866 रु., 2849 रु. अंतिम पूर्व आदेश दि. 18.5.2023 को
पुष्टिपत्र आदेश कोलार जिलाधिकारी मद्रास भुगतान के पत्र सं. 217/मन-
सी/मू.सं.2023 दिनांक 10.6.2023 के अनुसार में प्रितल कर
संशोधन आदेश -मीठा मंदिर के खाता सं. 1383 खाता सं. 2866 रु. मक्का
36,265 रु. में से खाता 2,0112 रु. शेषी 6-4 जो अंदाज अनुसार भी
अर्कित हो -वेदक का पुष्टिपत्र सं. प्रमुख सचिव 3.3.शासन संहिता अनुभाग
लखनऊ के पत्र सं. 329/2022/3829/4/-2022-210 रु. /2022
दिनांक 28.10.2022 के प्रस्ता -4 के अन्तर्गत भा.सी. पंक्तिर की
दि. 13.10.2022 को संपन्न बैठक में लिले में प्रितल अनुपातन में उप
जिलाधिकारी मद्रास को आदेश दि. 8.6.2023 3.3.शासन संहिता
-2006 तथा 3.3. शासन संहिता प्रिमापत्तरी -2016 की धारा 59-4
(ग) एवं प्रितल सं. 54-55 में दी गयी व्यवस्था एवं प्रमुख सचिव
3.3.शासन प्रत्यक्ष अनुभाग -1 लखनऊ की अधिवृत्तन सं. 35/740
/एक-1-2013-20 (5) /2016 दिनांक 3.6.2016 एवं अधिवृत्तन
सं. 689/एक-1-2020-5) 2016 दिनांक 6.7.2020 में दी गयी
व्यवस्था के क्रम में कारण भुगतान में कोलार जिला के पत्रा प्रितल कोलिका कर
अनुपातन में परिक्रमा मार्ग प्रिमाण, एगरेट कर्ताक तथा सौतल पट्टर की
रक्षापत्र के प्रिमाण कर्त करके चले हेतु प्रिक्रमा मार्ग के सेवेखा में आ ली
यन प्रिमाण की 2,0112 रु. प्रुति के बढते नि: शुल्क यन प्रिमाण के योग
अधिकत की जाती है प्रुति का इरादा अन्य प्रयोजन में नहीं किया जायेगा यदि
अन्य प्रयोजन के लिले प्रयोग किया जाता है तो उक्त प्रुति प्राप्तापत्र में प्रिठित



Received: 12.06.2017

17

कुल भू-राज्य - राज्य दशमत्त्व राज्य राज्य राज्य

तस्य अङ्कितः SHALENDRA KUMAR

संज्ञा: प्रमाण
17-06-2023 05:34:54

१ वाह उदरज खलीनी पुनोऽर्थेनिक किलिनी मरुप दूता देवा नी मदी हे तथा कदा किलिनीय कथयत दूता मरुतलीय नी

उपरोक्त तथ्य प्रतीति का प्रमाणित रूप <http://supbiblekhi.gov.in> Website पर उपलब्ध किया जा सकता है।

[illegible]